

**उ०प्र० जल प्राधिकरण पुनर्निर्माण परियोजना
जल उपभोक्ता समिति के संचालक मण्डल के सदस्यों के लिये प्रारूप
(अध्यक्ष/कोषाध्यक्ष, महिला सदस्य, सीमान्त कृषक- I, सचिव)**

- | | |
|---|--|
| 1.1 जिला: | 1.2 ब्लाक: |
| 1.3 ग्राम: | 1.4 उपभोक्ता समिति का नाम: |
| 1.5 वितरण कैनल का नाम: | 1.6 उपभोक्ता समिति की कार्यकारिणी सदस्य संख्या |
| 1.6 गाँव की स्थिति, माइनर कैनल के हेड/मिडिल/टेल | |

2. नाम:
- 2.1 जल उपभोक्ता समिति में पद: सदस्य/सचिव/कोषाध्यक्ष/अध्यक्ष
- 2.2 लिंग: पुरुष/महिला
- 2.3 आयु:
- 2.4 शिक्षा स्तर : प्राइमरी/मिडिल/हाईस्कूल/इंटर/ग्रेजुएट एवं ऊपर
- 2.5 जाति : सामान्य/अनु०जाति/अनु०जनजाति/पिछड़ी जाति/अन्य (स्पष्ट करें)
- 2.6 धर्म : हिन्दू/मुसलिम/सिख/इसाई/अन्य (स्पष्ट करें)
- 2.7 भूमि जोत का वर्ग : सीमान्त/लघु / बड़ा

3. जल उपभोक्ता समिति कार्यकारिणी के सदस्य कब बनें :

- 3.1 सदस्यता का चयन किसने किया?
- 3.2 आपके विचार में जल उपभोक्ता समिति के गठन की जो प्रक्रिया अपनाई गई वह सही है? हाँ/नहीं
- 3.21 यदि हाँ, तो क्यों?
- 3.22 यदि नहीं, तो क्यों?
- 3.3 जल उपभोक्ता समिति का रजिस्ट्रेशन कब हुआ ?
- 3.4 जल उपभोक्ता समिति के निम्न पदाधिकारियों की क्या जिम्मेदारी है?
- | | | | | |
|----------------|----------|----------|----------|----------|
| 1. अध्यक्ष | (1)..... | (2)..... | (3)..... | (4)..... |
| 2. सचिव | (1)..... | (2)..... | (3)..... | (4)..... |
| 3. कोषाध्यक्ष | (1)..... | (2)..... | (3)..... | (4)..... |
| 4. महिला सदस्य | (1)..... | (2)..... | (3)..... | (4)..... |
- (Responsibilities are enclosed as Annex.-A)

4. उपभोक्ता समिति के गठन से पूर्व नहर द्वारा सिंचाई में समस्यायें :

- | | |
|--|----------|
| 4.1 अनुशासनहीन किसान | हाँ/नहीं |
| 4.2 क्षतिग्रस्त नहर | हाँ/नहीं |
| 4.3 दरारग्रस्त/खरपतवारयुक्त | हाँ/नहीं |
| 4.4 आवश्यकता से कम जल मिलना | हाँ/नहीं |
| 4.5 असमय जल छोड़ना | हाँ/नहीं |
| 4.6 सही फसल एवं जल प्रबन्ध के प्रति अनभिज्ञ | हाँ/नहीं |
| 4.7 क्या किसान रोस्टर अनुसार अपनी फसल की योजना बनाने में सक्षम हैं | हाँ/नहीं |
| 4.8 माइनर के टेल के गाँव में पानी न पहुँचना। | हाँ/नहीं |
| 4.9 अन्य (स्पष्ट करें) | |

भूमि जोत का वर्ग : सीमान्त कृषक - 1 हे० भूमि तक, लघु कृषक - 2 हे० भूमि तक, बड़ा कृषक - 2 हे० से अधिक भूमि
(1 हेक्टेयर = 3.75 बीघा, 1 बीघा = 20 बिस्वा, 1.5 बीघा = 1 एकड़ 2.5 एकड़ = 1 हेक्टेयर)

5. क्या आप जानते हैं कि जल उपभोक्ता समिति का उद्देश्य क्या है? हाँ/नहीं ।

- यदि हाँ, क्या?(1)..... (2)..... (3)..... (4).....
(Enclosed as Annex.-B)
- 5.1 जल उपभोक्ता समिति का सदस्य बनने के बाद आपको कोई प्रशिक्षण मिला, जिससे कि आप अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सकें? हाँ/नहीं
- 5.2 यदि हाँ, तो प्रशिक्षण किस संस्था द्वारा दिया गया?
- 5.3 यह प्रशिक्षण कहाँ दिया गया है?
- 5.4 प्रशिक्षण की अवधि क्या थी? दिन
- 5.5 इस प्रशिक्षण के माध्यम से आपको क्या बताया गया? (विस्तार से बतायें)
- 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4.
 - 5.
 - 6.
- (Annex.-C)
- 5.6 क्या प्रशिक्षण में कोई उपयोगी सामग्री दी गई?
- 5.7 क्या आपको अपने खण्ड के अधिकारियों के नाम पता हैं?
- 5.8 इस ट्रेनिंग से क्या जल उपभोक्ता समिति के सदस्य होने के नाते आपको सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त हो गई? हाँ/नहीं
- 5.9 यदि हाँ, तो विस्तार से बतायें : (1)..... (2)..... (3)..... (4).....
- 5.10 यदि नहीं, तो क्या कमी रह गई ?, उदाहरण दें :
- 5.11 क्या आप जानते हैं कि जल उपभोक्ता समिति की क्या जिम्मेदारियाँ हैं? हाँ/नहीं
- 5.12 यदि हाँ, तो विस्तार से बतायें :
- (Annex.-A)
- 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4.
 - 5.
 - 6.
 - 7.
 - 8.
- 5.13 जल उपभोक्ता समिति ने उक्त जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिये क्या काम किये?
- 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4.
 - 5.
 - 6.

6. क्या जो फंड सिंचाई विभाग से मिले, वह काम के अनुसार ठीक हैं? हाँ / नहीं
- 6.1 यदि नहीं, तो क्यों?
- 6.2 यदि नहीं, तो फंड कम देने का कोई कारण बताये गये? हाँ / नहीं
- 6.3 यदि हाँ, तो क्या कारण थे ?(1)..... (2)..... (3).....
- 6.4 क्या काम पर होने वाले खर्च का बजट जल उपभोक्ता समिति ही बनाती है? हाँ / नहीं
- 6.5 सिंचाई विभाग से फंड मिलने में क्या कोई कठिनाई हुई? हाँ / नहीं
- 6.6 यदि हाँ, तो क्या?
7. समिति के कामों को पूरा करने में क्या स्वयंसेवी संस्थाएँ भी सहयोग देती हैं? हाँ / नहीं
- 7.1 यदि हाँ, संस्था का नाम:
- 7.2 किस प्रकार का सहयोग दिया(1)..... (2)..... (3)..... (4).....
(Annex.-C)
- 7.3 क्या आप उनके कार्यों से सन्तुष्ट हैं? हाँ / नहीं
- 7.4 यदि नहीं, तो क्यों
8. समिति द्वारा द्वारा किये गये कार्यों से सदस्यों (किसानों) को क्या लाभ हुआ ? जैसे:
- | | <u>पहले</u> | <u>अब</u> |
|--|-------------|-----------|
| 1. क्या नहर से सिंचाई का क्षेत्र बढ़ा? : | | |
| 2. लगभग कितने और किसान लाभान्वित हुये, :
जिन्हें पहले पानी नहीं मिलता था | | |
| 3. क्या पैदावार में बढ़ोत्तरी हुई: (प्रति हे0) गेहूँ:- पूर्व..... अब..... धान:- पूर्व..... अब..... | | |
| 4. नई फसलें जैसे : | | |
9. क्या कुलाबों/गूल/नालियों का रखरखाव सुचारु रूप से संचालित हुआ, जिससे कि पानी टेल तक पहुँचे ?
- 9.1 यदि नहीं, तो क्यों ?
10. आपकी समिति में कुल कितने कृषक सदस्य हैं ?
- 10.1 ऐसे कितने कृषक हैं, जिन्होंने अंशदान नहीं दिया?
- 10.2 अंशदान न देने के कारण :गरीबी/ आलस्य/ कोई मांगने नहीं आया/जानबूझकर नहीं दिया
11. उपभोक्ता समिति के गठन के बाद नहर द्वारा सिंचाई में क्या समस्याएँ बाकी हैं :
- 11.1 अनुशासनहीन किसान हाँ/ नहीं
- 11.2 क्षतिग्रस्त नहर हाँ/ नहीं
- 11.3 दरारग्रस्त/ खरपतवारयुक्त हाँ/ नहीं
- 11.4 आवश्यकता से कम जल मिलना हाँ/ नहीं
- 11.5 सही फसल एवं जल प्रबन्ध के प्रति अनभिज्ञ हाँ/ नहीं
- 11.6 रोस्टर के अनुसार पानी न मिलना हाँ/ नहीं
- 11.7 क्या किसान रोस्टर अनुसार अपनी फसल की योजना बनाने में असक्षम हाँ/ नहीं
- 11.8 माईनर के टेल तक पानी न पहुँचना। हाँ/ नहीं
- 11.9 किसानों में पानी के बँटवारे पर आपसी सहयोग न होना। हाँ/ नहीं
- 11.10 नहर में बन्धा लगाने में कमी नहीं हुई हाँ/ नहीं
- 11.11 नहर काटने में कमी हुई हाँ/ नहीं

12. जल उपभोक्ता समिति को उसके उद्देश्य अनुसार चलाने में किस प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है?

क्रम सं.	सदस्यों से (किसानों से)	सिंचाई विभाग अधिकारियों से	अन्य से (जैसे) स्वयं सेवी संस्थाएं आदि
1.			
2.			
3.			
4.			

13. क्या कृषि भूमि की हालत तथा पानी की उपलब्धता के अनुसार आपको अधिक पैदावार तथा अधिक मुनाफे वाली फसलों के बारे में समय-समय पर कोई परामर्श प्राप्त होता है? हाँ/नहीं

13.1 यदि हाँ, किससे: (1)..... (2)..... (3).....

14. क्या माईनर के टेल के गाँव तक पानी पहुँचाने के लिये सभी कुलाबों, गुल तथा नालियों की पुनः डिज़ाइन की आवश्यकता है? हाँ/नहीं

14.1 यदि हाँ, तो इस दिशा में क्या प्रयास हुआ है?(1)..... (2)..... (3).....

15. जल उपभोक्ता समिति के कार्यों को सुचारु रूप से चलाने में सिंचाई विभाग के निम्न अधिकारियों का स्वयंसेवा कैसा रहता है?

1. सींचपाल
2. जूनियर इंजीनियर
3. असिस्टेंट इंजीनियर
4. अधिशासी अभियन्ता

16. जल उपभोक्ता समिति का काम सुचारु रूप से चलाने में क्या कुलाबा समिति का सहयोग जरूरी होता है? हाँ/नहीं

16.1 यदि हाँ, किस प्रकार का सहयोग चाहिये?

16.2 क्या कुलाबा समिति पूर्णतया सहयोग देती है? हाँ/नहीं

16.3 यदि नहीं, क्यों?

17. जल उपभोक्ता समिति को अपने उद्देश्यानुसार काम कराने के लिये पैसा कहाँ से मिलता है?

17.1 उस पैसे का हिसाब कौन रखता है?

17.2 क्या उसे हिसाब रजिस्टर रखने की ट्रेनिंग मिली है? हाँ/नहीं

17.3 अगर हाँ, तो कहाँ से?

17.4 आने वाला पैसा कहाँ रखा जाता है?

17.5 अगर राष्ट्रकृत बैंक में, तो किसके दस्तखत से बैंक खाता चलता है?

18. जल उपभोक्ता समिति की बैठक कितनी अवधि पर होती है?

18.1 अनिवार्य बैठक कितनी अवधि पर होती है?

(Annexe.-D)

18.2 क्या इन बैठक की कार्यवाही को लिखा जाता है? हाँ/नहीं

18.3 कार्यवाही कौन लिखता है?

18.4 क्या इस कार्यवाही की पुष्टि अगली बैठक में होती है? हाँ/नहीं

18.5 अगर हाँ, तो क्या सभी सदस्य उस पर अपनी सहमति अंकित करते हैं?

18.6 क्या समिति के सभी सदस्यों को बैठक की सूचना समय से दी जाती है? हाँ/नहीं

18.7 यदि हाँ, आमतौर से कितना पहले सूचना दी जाती है?

18.8 क्या सभी सदस्य इन बैठकों में भाग लेते हैं? हाँ/नहीं

- 18.9 यदि नहीं, तो आमतौर से कितने सदस्य भाग लेते हैं?
- 18.10 क्या समिति की बैठक में निर्णय सभी सदस्यों की मरज़ी से लिये जाते हैं? हाँ/नहीं
- 18.11 यदि नहीं, तो आमतौर से किस पदाधिकारी की बात का अधिक महत्व होता है?
19. आपके विचार में क्या जल उपभोक्ता समिति को और अधिक जिम्मेदारी देना चाहिये? हाँ/नहीं
- 19.1 यदि हाँ, तो और क्या अधिकार देना चाहिये?(1)..... (2).....
20. जल उपभोक्ता समिति में महिला सदस्य की भूमिका को आप कितना महत्वपूर्ण समझते हैं?
- 1.
 - 2.
 - 3.
21. जल उपभोक्ता समिति को अधिक प्रभावशाली बनाने से सम्बन्धित आपका कोई सुझाव हो तो दें :

सर्वेक्षण की तिथि:

सर्वेक्षणकर्ता का नाम :

सर्वेक्षणकर्ता का हस्ताक्षर

ANNEXURE-A

संचालक मण्डल की शक्तियाँ एवं कर्तव्य—

- (1) समिति के समस्त कार्य—कलाप एवं कोष का प्रबंधन।

- (2) समिति की ओर से अनुबंध, निविदा एवं अन्य लिखत को तय करना, प्राप्त करना, दर्ज करना एवं कार्यान्वित करना।
- (3) अपने कार्य क्षेत्र की सिंचाई एवं कृषि संबंधी सभी विषयों पर राज्य सरकार को सलाह देना व प्राप्त करना।
- (4) समिति के आम सभा द्वारा निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सलाहकार समिति एवं अन्य विशेष समिति का गठन एवं उनको भंग किया जाना:
- (5) समिति के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सभी प्रकार की कार्यवाही करना।

अध्यक्ष:

- (1) अध्यक्ष समिति का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा। उसके द्वारा समय-समय पर आयोजित होने वाली बैठकों की अध्यक्षता की जायेगी तथा उसका निर्णय अंतिम होगा।
- (2) सभी प्रकार के अनुबंध, प्रसंविदाओं एवं सम्पत्ति का हस्तान्तरण जो समिति की ओर से किया जाना हो समिति के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा।

सचिव:

समिति के प्रबंधन एवं उसके कार्यकलापो की देखभाल सचिव द्वारा अध्यक्ष के मार्गदर्शन में तथा समिति के निर्देशानुसार की जायेगी एवं पत्राचार संबंधी समस्त कार्य किया जायेगा। जब भी जरूरत हो सचिव द्वारा अध्यक्ष की अनुमति से संचालक मण्डल या समिति की बैठक आयोजित की जायेगी तथा बैठक में पारित किये गये प्रस्तावों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। समिति के सभी अभिलेखों को सचिव द्वारा निर्धारित स्थान पर स्वयं सुरक्षित रखा जायेगा या रखने की व्यवस्था करवाई जायेगी।

कोष एवं अंकेक्षण :

- (1) समिति द्वारा अपना खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की निकटतम शाखा में खोला जायेगा तथा उसका संचालन समिति के कोषाध्यक्ष एवं सचिव द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षर करके किया जायेगा।

- (2) राज्य सरकार से प्राप्त होने वाली धनराशि तथा समिति की आय, लाभार्थियों का अंश अथवा लाभार्थियों से अभिदान के रूप में जो धनराशि प्राप्त हो सभी धनराशियां इसी खाते में उसी दिन जमा की जायेगी। जिसमें सेप्रतिशत धनराशि का व्यय रख-रखाव कार्य हेतु किया जायेगा।
- (3) किसी व्यक्ति, कम्पनी, फर्म, संस्था, स्थानीय निकाय, एजेंसी, राज्य सरकार या केन्द्र सरकार के अभिकरण से प्राप्त चन्दा, दान, अनुदान आदि।
- (4) कोषाध्यक्ष द्वारा समिति के लेखों का रखरखाव उचित प्रकार से किया जायेगा। वार्षिक लेखा-विवरणी (बैलेन्स-शीट) के साथ निर्धारित फार्म में, जैसा विहित किया जाय, समिति के अंकेंक्षक की सलाह से तैयार किया जायेगा।

Annexure-B

उद्देश्य—

- (1) पैतृक नहर से जल प्राप्त करना एवं समिति कमाण्ड क्षेत्र के बीच समानुपातिक वितरण करना।

- (2)अल्पिका से निकलने वाले जल के वितरण नेटवर्क के रख-रखाव का कार्य।
- (3)अल्पिका व उसके निर्माण कार्यों के रख-रखाव, अभिलेखन, आदि।
- (4) अल्पिका के कमाण्ड क्षेत्र में कृषि की उत्पादकता बढ़ाने हेतु गूल वितरण प्रणाली में तकनीकी तथा भौतिक सुधार/कृषि तकनीकी प्रदान करना।
- (5) समिति के चालू खर्च को पूरा करने के लिये संसाधन को सृजित करना।
- (6) समिति के कमाण्ड क्षेत्र में जल की मात्रा को दृष्टिगत रखकर समय से सिंचाई या अन्य कार्य जैसे चैनल, तालाब, नाला, जलाशय, बांध, नलकूप इत्यादि की खुदाई एवं रख-रखाव के लिए राज्य सरकार से भूमि प्राप्त करना।
- (7) जल की उपलब्धता की जानकारी विभाग से प्राप्त करना, व अल्पिका का ऑपरेशन-प्लान तैयार कराना एवं उसके कार्यान्वयन का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करना।
- (8) जल की बर्बादी रोकना एवं उसका उचित उपयोग सुनिश्चित करना।
- (9) अल्पिका से सम्बन्धित समिति क्षेत्र में जल-निकासी की व्यवस्था करना।
- (10) बेहतर उत्पादकता एवं संबंधित विकास कार्यों के लिए सहायक सेवाओं, शिक्षा एवं किसानों प्रशिक्षण एवं सिंचाई के पहले एवं बाद के समय के लिए उपादान (इनपुट) एवं कृषि विस्तार सेवा एवं मार्केटिंग की व्यवस्था की कार्यवाही करना।

ANNEXURE-C

TRAINING

Training given to WUAs by

- 1) WALMI
- 2) NGO APPOINTED BY WALMI
- 3) NGO APPOINTED BY PACT

TRAINING AREAS

- 1) Make them understand about the WUAs responsibilities
- 2) Giving Support to carry out desilting job which involves
 - a. Analysis of quantity of silt to be removed
 - b. Preparation of estimation
 - c. Understanding tendering process (Award of desilting job)
 - d. Repairing of gates, pul, puliya ect.
 - e. Payments process
- 3) Equitable distribution of water /water management (War bandi) / Osra bandi)
- 4) Crop management (new variety seeds, line sowing, balanced use of fertilizers, vermin composting).
- 5) Promotion and adding of new members and collecting membership fee for sustainability.
- 6) Optamise water management (Avoid wastage of water, cleaning of silt and weeds of Gul /Nali)
- 7) Collection of local indigenous technical knowledge
- 8) Make them aware of listening to radio programmes related to farming

ANNEXURE-D

1. संचालक मण्डल:

समिति के कार्यो के संचालन हेतु एक संचालक मण्डल होगा , जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे

- (1) लाभान्वित ग्रामों की जल प्रबन्धन समिति के अध्यक्ष ।

- (2) लाभान्वित ग्रामों के उप प्रधान ।
- (3) 5 (पाँच) नामित जल उपभोक्ता कृषक, जिसमें एक अनुसूचित जाति/जनजाति , एक महिला तथा दो सीमान्त कृषक होंगे। इन कृषकों का नामांकन अधिशासी अभियन्ता द्वारा किया जायेगा।
- (4) अधिशासी अभियन्ता द्वारा नामित एक विभागीय अधिकारी/कर्मचारी जो इस समिति का सचिव होगा ।

उपरोक्त में से टेल के ग्राम के उप प्रधान इस संचालक मण्डल के अध्यक्ष होंगे ।

2. समिति की सामान्य बैठक—

- (1) विगत वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकक्षित लेखा या अन्य कोई कार्य जो संचालक मण्डल द्वारा निर्धारित किया जायेगा, को पारित करने हेतु समिति की सामान्य वार्षिक आम बैठक प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार माह अप्रैल में अवश्य आयोजित की जायेगी। समिति के बैठक हेतु गणपूर्ति समिति के सदस्यों की संख्या की एक तिहाई होनी चाहिए। गणपूर्ति के अभाव में स्थगित बैठक अगले सप्ताह में उसी जगह एवं समय पर आयोजित किया जाएगा। स्थगित बैठक के लिए गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी।
- (2) संचालक मण्डल के अध्यक्ष द्वारा विशेष बैठक बुलाई जा सकती है। इसके लिए सदस्यों को 10 दिन की नोटिस देना होगा।
- (3) समिति के 10 प्रतिशत सदस्यों द्वारा बैठक बुलाने के उद्देश्य का लिखित अनुरोध करने पर बैठक 15 दिनों में अवश्य आयोजित की जायेगी।
- (4) प्रत्येक बैठक की सूचना बैठक आयोजित होने की तिथि से 10 दिन पूर्व सभी सदस्यों व विभाग को समय व स्थान के साथ दी जायेगी।
- (5) यदि मांग की गयी बैठक 15 दिनों के अन्दर नहीं बुलाई जाती है तो मांग करने वाले सदस्यगण स्वयं बैठक बुला सकते हैं। किन्तु यह बैठक व उसके निर्णय तभी प्रभावी होंगे जब उक्त निर्णय समिति के कुल सदस्यों में से आधे से अधिक सदस्यों द्वारा लिया गया हो।

3. संचालक मण्डल की बैठक —

- (1) संचालक मण्डल की बैठक 3 (तीन) माह में कम से कम एक बार अवश्य आयोजित की जायेगी तथा बैठकों को माह मई व सितम्बर के आरम्भ में अनिवार्य रूप से आयोजित किया जायेगा।
- (2) जब भी आवश्यकता हो सचिव द्वारा संचालन मण्डल की बैठक कम से कम 7 दिनों की पूर्व सूचना पर आयोजित की जा सकती है।
- (3) संचालक मण्डल के बैठक हेतु गणपूर्ति संचालक मण्डल के सदस्यों की संख्या की एक तिहाई होनी चाहिए। गणपूर्ति के अभाव में स्थगित बैठक अगले सप्ताह में उसी जगह एवं समय पर आयोजित किया जाएगा। स्थगित बैठक के लिए गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी।

4. समिति/संचालक मण्डल की बैठकों की कार्यवाही –

- (1) बैठकों में लिये गये सभी निर्णयों को बैठक पंजिका में अंकित किया जायेगा एवं उसकी पुष्टि अगली बैठकों में की जायेगी।
- (2) समिति या संचालन मण्डल की सभी बैठकों की अध्यक्षता उनके अध्यक्ष द्वारा की जायेगी। यदि अध्यक्ष उपस्थित नहीं हैं तो उपस्थित सदस्य अपने में से किसी एक को बैठक की अध्यक्षता करने के लिए अध्यक्ष चुन सकते हैं।
- (3) बैठक में मत देने की प्रक्रिया— बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा प्रत्येक मामले में हाथ उठाकर मत दिया जायेगा। परन्तु जब पक्ष एवं विपक्ष में बराबर-बराबर मत प्राप्त हुए हो तो अध्यक्ष द्वारा निर्णायक मत दिया जायेगा।

**जल उपभोक्ता समिति का मूल्यांकन (रैंकिंग) प्रपत्र
जनवरी-दिसम्बर, 2005 के कार्यों के आधार पर**

जल उपभोक्ता समिति का नाम:.....

पता :-

क्र.सं.	मानक	पूर्णांक	प्राप्तांक
---------	------	----------	------------

1.	ज0उ0 समिति की बैठक (i) 80 प्रतिशत से ऊपर नियमित (ii) 80 से 50 प्रतिशत तक (iii) 50 प्रतिशत से कम	10 5 3	
2.	ज0उ0 समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति (i) 80 प्रतिशत से ऊपर नियमित (ii) 80 से 50 प्रतिशत तक (iii) 50 प्रतिशत से कम	10 5 3	
3.	ज0उ0 समिति की बैठक की कार्यवाही लिखना (i) जल उपभोक्ता समिति द्वारा (ii) एन.जी.ओ. द्वारा (iii) अन्य द्वारा	10 5 3	
4.	ज0उ0 समिति से संबंधित अल्पिका में कटिंग (i) कोई कटिंग नहीं होती (ii) 5 कटिंग तक (iii) 5 कटिंग से ऊपर	10 5 3	
5.	अल्पिका बनने के बाद अल्पिका टूटने की घटना (i) बढ़ी (ii) घटी (iii) पूर्ववत	10 5 3	
6.	ज0उ0 समिति से संबंधित अल्पिका पर नाली (गुल) की सक्षमता के आधार पर (i) प्रत्येक खेत को नाली है (ii) 2 हेक्टेयर तक खेत को नाली नहीं है (iii) 2 हेक्टेयर से ऊपर नाली नहीं है।	10 5 3	
7.	ज0उ0 समिति से संबंधित अल्पिका के रख-रखाव हेतु सदस्य बनाए गये (i) 80 प्रतिशत से ऊपर (ii) 80 से 50 प्रतिशत तक (iii) 50 प्रतिशत से कम (iv) कोई सदस्य नहीं बने	10 5 3 0	
8.	ज0उ0समिति से संबंधित अल्पिका के रख-रखाव हेतु धन की व्यवस्था करने के लिए सदस्यता शुल्क जमा करना (i) हाँ (ii) नहीं	10 5	

9.	बैठक में अल्पिका कमाण्ड के कृषकों की सहभागिता/प्रतिभागिता (i) 50: से अधिक (ii) 30: से 50: तक (iii) 50: से कम	10 5 3	
10.	सिल्ट सफाई / अन्य कार्य		

	(i) ज०उ०स० के सहयोग से श्रमदान द्वारा (ii) मजदूरों द्वारा (iii) ठेकेदार द्वारा	10 5 3	
11.	कार्य का प्राक्लन (इस्टीमेट) तैयार करना (i) ज०उ०स० स्वयं सक्षम (ii) एन०जी०ओ० के सहयोग से (iii) टीमलीडर के द्वारा	10 5 3	
12.	बधों को लगाने में कोई कमी हुई (i) बढ़ी (ii) घटी (iii) पूर्ववत्	10 5 3	
13.	लेखा कार्य (i) ज०उ० स्वयं सक्षम (ii) एन.जी.ओ. के सहयोग से (iii) टीमलीडर के द्वारा	10 5 3	
14	सिंचाई / जल बटवारा संबंधित विवाद का निपटारा (i) आपसी सहयोग से (ii) एन.जी.ओ. / विभागीय सहयोग से (iii) पुलिस के सहयोग से	10 5 3	
15.	कार्य योजना का निर्माण (i) ज०उ०स० स्वयं सक्षम (ii) एन०जी०ओ० के सहयोग से (iii) विभागीय सहयोग से	10 5 3	
16.	जागरूकता / प्रशिक्षण का क्रियान्वयन (i) ज०उ० स्वयं सक्षम (ii) एन.जी.ओ. द्वारा (iii) अन्य के द्वारा	10 5 3	
17.	कृषि निवेश केन्द्र की व्यवस्था (i) स्वयं द्वारा स्थापित केन्द्र से (ii) दूसरे माध्यम से स्थापित केन्द्र के सहयोग से (iii) अन्य माध्यम से	10 5 3	
18.	कार्य का मापन (एम०वी०) करना (i) ज०उ० स्वयं सक्षम (ii) एन.जी.ओ. के सहयोग से (iii) टीमलीडर के द्वारा	10 5 3	
19.	अल्पिका में प्राप्त जल का किसानों के समान वितरण सुनिश्चित करना (i) हां (ii) नहीं	10 5	

20.	सिंचाई कार्यो (तालाब जलाशय आदि) के लिए राज्य सरकार से भूमि प्राप्त की (i) प्राप्त की (ii) नहीं प्राप्त की (iii) आवश्यकता नहीं	10 5 3	
21.	जल की बरबादी रोकना एवं उचित उपयोग करना (i) किया (ii) नहीं किया (iii) आवश्यकता नहीं	10 5 3	
22.	समिति क्षेत्र में जल निकासी की व्यवस्था करना (i) किया (ii) नहीं किया (iii) आवश्यकता नहीं	10 5 3	
23.	बेहतर उत्पादकता एवं सम्बन्धित विकास कार्यो के लिए सहायक सेवाओं एवं मार्केटिंग की व्यवस्था करना (i) किया (ii) नहीं किया (iii) आवश्यकता नहीं	10 5 3	
	योग:-	230	

श्रेणी करण का मानक

- 173 अंक से ऊपर A ग्रेड (उत्कृष्ट)
 173 अंक से 138 तक B ग्रेड (अच्छा)
 137 अंक से 92 तक C ग्रेड (सन्तोषजनक)
 92 अंक से नीचे D ग्रेड (असन्तोषजनक)

प्रपत्र भरवाने में जल उपभोक्ता समिति के किन सदस्यों ने भाग लिया, उनका पद भी लिखें ।

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

सर्वेक्षण की तिथि :

सर्वेक्षणकर्ता का नाम :

सर्वेक्षणकर्ता का हस्ताक्षर